

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

निविदा - प्रारूप

1. वाहन मालिक का नाम पूर्ण पता सहित :-.....
2. वाहन का नाम :-
3. वाहन का पंजीयन क्रमांक/दिनांक.....
4. वाहन का टेक्सी में पंजीयन क्रमांक/दिनांक.....
5. वाहन का मॉडल वर्ष.....
6. ट्रेवल्स/एजेन्सी का पंजीयन क्रमांक/दिनांक.....
7. वाहन चालक का नाम, पूर्ण पता सहित.....
8. ड्रायवर लायसेन्स स्वीकृति क्षमता अनुसार क्रमांक/दिनांक/श्रेणी
9. दुर्घटना बीमा (जीवित प्रथम श्रेणी) की छायाप्रति.....
10. वाहन का संपूर्ण भारत का परमिट की प्रति.....
11. वाहन का प्रदूषण संबंधी प्रमाण पत्र.....
12. वाहन किराया प्रतिमाह.....
संलग्न संख्या :-.....

12/04
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास

निविदाकार के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पता.....

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक २..... भिण्ड, दिनांक 12-1-11 से संबंधित शर्त :-

1. किराये पर लिये जाने वाले वाहन का माडल वर्ष-2005 से पूर्व का स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. केवल उन्ही ट्रेडल्स/एजेन्सी/व्यक्तियों की निविदा पर विचार किया जावेगा। जिनके पास माबाइल/टेलीफोन हो।
3. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन का टैक्सी में पंजीयन वाहन को ही किराये पर लिया जावेगा।
4. निविदा लिफाफे की शीर्ष पर शब्दों में टैक्सी किराये हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में उपयो इतु निविदा अंकित होना चाहिये।
5. वाहन का रोड टैक्स एवं टैक्सी पंजीयन, वाहन चालक का ड्राइवर लायसेन्स, वाहन की स्वीकृति क्षमता अनुसार। दुर्घटना बीमा तथा अन्य सभी वाहन संबंधी आवश्यक कागजात की छायाप्रतियाँ। निविदा के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होंगे।
6. वाहन के खराब (ब्रेक डाउन) हो जाने पर यदि ड्यूटी पर अन्य वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बीजक से 4 प्रतिशत राशि प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
7. वाहन का निरीक्षण शासकीय कार्य हेतु उपयुक्त होने के संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
8. दो निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में समानता होने की स्थिति में अधिमान्य निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। इस संबंध में कोई वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये एवं वाहन की टूट-फूट, पंचर, टोल टैक्स, पार्किंग आदि का संपूर्ण व्यय वाहन प्रदाता को वहन करना होगा।
10. वाहन चालक को लागू बुक रखनी होगी। तथा प्रत्येक दिन वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी/सक्षम अधिकारी जो यात्रा करें। उससे ली गई दूरी लोग बुक में इन्द्राज कर, प्रमाणित कराना होगा।
11. किसी समय समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये गिरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। निविदा स्वीकार होने के पश्चात् रुपये 5000/- (पांच हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट/एन.एस.सी. के रूप में जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड, के पक्ष में देय हो जमा करनी होगी।
12. अनुबंधित वाहन प्रति माह 2000 कि.मी. चलाया जाना होगा। वाहन मालिक को प्रति माह प्रदाय राशि में किराये एवं दिन्दु क्रमांक-09 के कार्य शामिल होंगे। डीजल व्यय शामिल नहीं होगा।
13. वाहन किसी भी क्षेत्र के लिये आवंटित की जा सकती है। तथा अधिकारी जहाँ दौरे में रात्रि विश्राम करेंगे वहाँ वाहन चालक को मह वाहन के रूकना अनिवार्य होगा।
14. यदि आवंटन के अभाव में भुगतान में विलंब होता है। तो कार्यालय जबाबदार नहीं होगा।

12.10.11
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

आवेदन पत्र प्रारूप

1. आवेदन कर्ता का नाम :-
2. आवेदनकर्ता का पूर्ण पता :-
3. मोबाइल नंबर :-

क्र.	वाहन का विवरण	धरोहर राशि	ड्राफ्ट क्रमांक / दिनांक	प्रस्तावित राशि
1	ग्रुप क्रमांक-1 अ. एम.पी.06-8486 ब. सीपीजेड-6984			
2	ग्रुप क्रमांक-2 अ. एम.पी. 02-3170 ब. एम.आर.बी.-421 स.ए.म.पी. 02-0053			
3	ग्रुप क्रमांक-3 अ. एम.पी. 02-3384 ब. एम.पी. 02-3984			

आवेदनकर्ता का नाम
एवं हस्ताक्षर

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक/म.बा.वि./वाहन/2011/

भिण्ड, दिनांक.....

नीलामी निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक...०१.....

शासकीय अनुपयोगी घोषित जीप के विक्रय हेतु इच्छुक व्यक्तियों संस्थानों से जहाँ जिस हालत में है के आधार पर बंद निविदायें...७/२/११.....सायं...५:३०...बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निविदा अगले दिन अर्थात् दिनांक.....८.....को प्रातः...१२.....बजे उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खोली जावेगी। पोस्टल विलम्ब के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र अंतिम रूप से दिनांक...७/२/११.....तक कार्यालयीन समय...५:३०...बजे तक क्रय किये जा सकते हैं।

क्र.	जीपों का विवरण	निविदा प्रपत्र	अमानत (\$प्रतिशत)	स्थान जहाँ वाहन रखा हुआ है।
1.	ग्रुप क्रमांक-1 अ. एम.पी.06-8482 ब. सीपीजेड-6984	1000.00 1000.00	1500.00 1500.00	गोहद परियोजना परियोजना भिण्ड (ग्रामीण)
2.	ग्रुप क्रमांक-2 अ. एम.पी.02-3170 ब. एम.आर.बी.-421 स. एम.पी.02-0053	1000.00 1000.00 1000.00	1500.00 1750.00 2500.00	परियोजना भिण्ड (ग्रामीण) कॉटनजीन कॉलोनी भिण्ड परियोजना लहार कार्यालय
3.	ग्रुप क्रमांक-3 अ. एम.पी.02-3384 ब. एम.पी.02-3984	1000.00 1000.00	1500.00 1600.00	परियोजना भिण्ड (ग्रामीण) राज-ए-कमल गैरिज लशकर रोड, भिण्ड (म.प्र.)


K. P. Singh
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास भिण्ड (म.प्र.)

नीलामी निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक...../2010-11

नियम एवं शर्तें-

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित राशि का भुगतान कर अंतिम रूप से दिनांक.../.../... को सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त राशि वापिसी के योग्य नहीं है।
2. यदि निविदा प्राप्त होने/खोलने का दिवस शासकीय अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जायेगी।
3. प्रत्येक गुप की अलग-अलग अमानत राशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास भिण्ड के नाम से बंधक ((प्लेस) की गई हो, निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा खोली जावेगी।
4. निविदा क्रय करते समय चुकता आयकर प्रमाण पत्र, फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करना साथ ही आवेदन में पूरा पता अंकित करना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व स्थल पर निष्प्रयोजित जीप का भलीभांति निरीक्षण कर लें, इच्छुक निविदाकार जीप से संबंधित विस्तृत वितरण प्राप्त करने या स्थल पर निरीक्षण करने हेतु संबंधित जिले के परियोजना अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
6. जीप जहां है व जिस हालत में वैसे ही स्वीकार करने होंगे।
7. जीप की उच्चतम राशि स्वीकृति/अस्वीकृति करने के अधिकार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, भिण्ड के पास सुरक्षित होंगे।
8. जीप की प्राप्त उच्चतम राशि स्वीकृति होने के उपरांत जीप के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
9. जीप की उच्चतम राशि निविदाकार को जमा कराने के उपरांत जीप को ले जाने का व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
10. जीप से संबंधित कागजात परिवहन विभाग से निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा। कार्यालय द्वारा सिर्फ जीप का विक्रय आदेश जारी किया जावे।
11. साशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
12. नियमानुसार विक्रय कर अतिरिक्त देय होगा।
13. निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति होने के 30 दिवस के अंदर राशि जमा नहीं की जाती है तो अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. उक्त निविदा विभागीय वेवसाइट..... पर भी देखी जा सकती है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)